उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1
संख्या–2258/आठ–1–06–53विविध/03
लखनऊ : दिनांक : 27 अप्रैल, 2006

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु चयनित विकासकर्ता कम्पनियों एवं संबंधित विकास प्राधिकरणों के मध्य हुए एम.ओ.यू. के उपरान्त विकासकर्ता कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर के अनुोदन हेतु निम्नवत् समिति के गठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान करते हैं :–

(1)	संबंधित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष/आयुक्त	अध्यक्ष
(2)	विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन	सदस्य
(3)	संबंधित प्राधिकरण के मुख्य अभियंता/अभियंत्रण विभाग के प्रभारी	सदस्य
(4)	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश	सदस्य
(5)	मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार या उनका प्रतिनिधि जो अतिरिक्त मुख्य नियोजक के पद से कम न हो।	सदस्य
(6)	प्रोफेसर एण्ड हेड, अरबन प्लानिंग एण्ड आर्कीटेक्चर डिपार्टमेंट, आई.आई.टी. रूड़की या उनके द्वारा नामित अरबन प्लानिंग/टाउनशिप नियोजन में अनुभवी विशेषज्ञ जो प्रोफेसर रैंक से कम न हो।	सदस्य
(7)	संबंधित प्राधिकरण के मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	सदस्य

2– समिति, विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम द्वारा हाई–टेक टाउनशिप के विकास हेतु प्रस्तुत डी.पी.आर. एवं ले–आउट प्लान के परीक्षणोपरान्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को संस्तुति करेगी।

3– वाह्य विशेषज्ञों को समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु शासकीय नियमों के अनुसार यात्रा–भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा, जिसका भुगतान संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

के. एल. मीना
सचिव

संख्या–2258(1)/आठ–1–06, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

2– संबधित सदस्य अधिकारीगण।

3– अधिशासी निदेशक, आवास बन्धु।

4– मुख्य नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन, भारत सरकार, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, ई–ब्लाक, नई दिल्ली।

5– डायरेक्टर, आई.आई.टी., रूड़की को इस अनुरोध के साथ कि संबंधित को बैठक में यथासमय प्रतिभाग हेतु अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें।

6– प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव के संज्ञान में लाने हेतु।

7– गार्ड फाइल, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव जनम चौधरी

अनु सचिव